

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937

No. 52]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/MAGHA 1, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 21 जनवरी, 2016

सं. फेमा. 7 (आर)/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 95(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (एच), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 7/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा भारत से बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और अंतरण के संबंध में निम्नलिखित विनियमों को निर्मित करता है, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः—

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण), विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ :—

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- i) 'अधिनियम' का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;
- ii) इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. भारत से बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण अथवा अंतरण पर प्रतिबंध:-

उक्त अधिनियम अथवा इन विनियमों में उपबंधित को छोड़कर, भारत में निवासी कोई व्यक्ति रिज़र्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बगैर भारत से बाहर किसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण अथवा अंतरण नहीं करेगा।

4. छूट:-

इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात (शर्त) निम्नलिखित संपत्ति पर लागू नहीं होगी -

(ए) भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित संपत्ति जो किसी विदेशी राज्य का राष्ट्रिक है;

(बी) भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा 8 जुलाई 1947 को अथवा उससे पहले अधिग्रहीत संपत्ति और जिसे वह रिज़र्व बैंक की अनुमति से लगातार धारण किए रहा है।

5. भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण:-

(1) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर अचल संपत्ति का निम्नवत अधिग्रहण कर सकता है, -

(ए) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) में, अथवा विनियम 4 के खंड (बी) में संदर्भित व्यक्ति से उपहार अथवा विरासत के रूप में;

(बी) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2015 के अनुसार रखे गए निवासी विदेशी मुद्रा (RFC) खातेगत विदेशी मुद्रा से खरीद के माफ़त;

(सी) भारत से बाहर के निवासी किसी रिश्तेदार के साथ संयुक्त रूप में, बशर्ते एतदर्थ भारत से बाहर निधियों प्रवाह/विप्रेषण न हो;

(2) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति से विरासत या उपहार स्वरूप कर सकता है, जिसने ऐसी संपत्ति उसके अर्जन के समय यथा लागू विदेशी मुद्रा प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहीत किया हो।

(3) भारत में निगमित कोई कंपनी, जिसके समुद्रपारीय कार्यालय हैं, वह अपने कारोबार एवं अपने स्टाफ के आवासीय प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत से बाहर संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।

स्पष्टीकरण :

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के 'रिश्तेदार' का तात्पर्य उस व्यक्ति के पति, पत्नी, भाई अथवा बहन अथवा उसके आरोही अथवा अवरोही वंशज से है।

[फा.सं. 1/31/ईएम/2016]

बी.पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
CENTRAL OFFICE
NOTIFICATION

Mumbai , the 21st January 21, 2016

No. FEMA 7(R)/2015—RB

Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property outside India)
Regulations, 2015

G.S.R. 95(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA 7/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank hereby makes the following regulations relating to acquisition and transfer of immovable property outside India, namely :-

1. Short title and commencement:-

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Acquisition and transfer of immovable property outside India) Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these regulations, unless the context requires otherwise, -

- (i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (ii) The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Restriction on acquisition or transfer of immovable property outside India:-

Save as otherwise provided in the Act or in these regulations, no person resident in India shall acquire or transfer any immovable property situated outside India without general or special permission of the Reserve Bank.

4. Exemptions:-

Nothing contained in these regulations shall apply to the property -

- (a) held by a person resident in India who is a national of a foreign state;
- (b) acquired by a person resident in India on or before 8th July 1947 and continued to be held by him with the permission of the Reserve Bank.

5. Acquisition and Transfer of Immovable Property outside India:-

(1) A person resident in India may acquire immovable property outside India, -

- (a) by way of gift or inheritance from a person referred to in sub-section (4) of Section 6 of the Act, or referred to in clause (b) of regulation 4;
- (b) by way of purchase out of foreign exchange held in Resident Foreign Currency (RFC) account maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Foreign Currency accounts by a person resident in India) Regulations, 2015;

(c) jointly with a relative who is a person resident outside India, provided there is no outflow of funds from India;

(2) A person resident in India may acquire immovable property outside India, by way of inheritance or gift from a person resident in India who has acquired such property in accordance with the foreign exchange provisions in force at the time of such acquisition.

(3) A company incorporated in India having overseas offices, may acquire immovable property outside India for its business and for residential purposes of its staff, in accordance with the direction issued by the Reserve Bank of India from time to time.

Explanation:

For the purposes of these regulations, 'relative' in relation to an individual means husband, wife, brother or sister or any lineal ascendant or descendant of that individual.

[F. No. 1/31/EM/2016]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

अधिसूचना

मुंबई, 21 जनवरी, 2016

सं.फेमा. 10 (आर)/2015-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध {भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा (करेंसी) खाता} विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 96(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 और धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा खाते खोलने, धारण करने तथा रखने के लिए और भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा ऐसे खातों में रखी जा सकने वाली राशियों की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध {भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा (करेंसी) खाता} विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :-

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

i) "अधिनियम" का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;

ii) "प्राधिकृत व्यापारी" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किये गए व्यक्ति से है;

iii) 'विदेशी मुद्रा खाता' का तात्पर्य भारत अथवा नेपाल अथवा भूटान की मुद्रा से भिन्न किसी अन्य मुद्रा से है;

iv) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस विनियमावली की अनुसूची से है;

v) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता धारण करने पर प्रतिबंध

उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, भारत में निवासी कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा खाता न खोल सकता है, न धारण कर सकता है अथवा न रख सकता है;

वशर्ते कि भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष अथवा सामान्य अनुमति से इन विनियमों के प्रारंभ से पहले यदि कोई विदेशी मुद्रा खाता धारित किया गया अथवा रखा गया हो तो उसे इन विनियमों के अंतर्गत धारित किया गया अथवा रखा गया माना जाएगा;

वशर्ते यह भी कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उसे आवेदन किये जाने पर ऐसी शर्तों, जो आवश्यक समझी जाएंगी, के आधार पर भारत में निवासी किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा खाता खोलने, धारण करने अथवा रखने की अनुमति दे सकता है।

4. भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलना, धारण करना और रखना

(ए) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता :-

भारत में निवासी कोई व्यक्ति, भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास, अनुसूची में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता योजना की शर्तों के अनुसार विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है जिसे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते के नाम से जाना जाएगा।

(बी) निवासी विदेशी मुद्रा खाता :-

(1) भारत में निवासी कोई व्यक्ति, निम्नवत विदेशी मुद्रा में से भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है अथवा रख सकता है, जिसे निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते के नाम से जाना जाएगा -

(ए) भारत से बाहर के अपने नियोक्ता से पेन्शन अथवा अन्य कोई अधिवर्षिता अथवा अन्य मौद्रिक लाभ के रूप में प्राप्त राशि; अथवा

(बी) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) में उल्लिखित परिसंपत्तियों के परिवर्तन पर वसूली गयी और भारत में प्रत्यावर्तित राशि; अथवा

(सी) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) में उल्लिखित व्यक्तियों से उपहार अथवा विरासत में प्राप्त अथवा अर्जित राशि; अथवा

(डी) अधिनियम की धारा 9 के खंड (सी) में उल्लिखित, अथवा उनसे उपहार अथवा विरासत के रूप में अर्जित राशि; अथवा

(ई) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से जीवन बीमा का कार्य करने के लिए अनुमत भारत में किसी बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी दावे / परिपक्वता / सुपुर्दगी मूल्य के रूप में विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान के रूप में प्राप्त आगम राशि।

(2) उप-विनियम (1) की शर्तों के अनुसार खोले गए अथवा धारण किये गए अथवा रखे गए निवासी विदेशी मुद्रा खातेगत निधियां विदेशी मुद्रा जमाशेष के अंतिम उपयोग के संबंध में सभी प्रतिबंधों से मुक्त होंगी जिनमें किसी भी नाम से अभिहित भारत से बाहर किए जाने वाले निवेशों पर प्रतिबंध शामिल हैं।

(3) निवासी व्यक्तियों को अपने निवासी विदेशी मुद्रा खाते में निवासी रिश्तेदारों को "प्रथम अथवा उत्तरजीवी" के आधार पर संयुक्त धारक के रूप में शामिल करने की अनुमति है। तथापि, ऐसा निवासी भारतीय रिश्तेदार संयुक्त निवासी खाताधारक के जीवनकाल में खाते का परिचालन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए "रिश्तेदार" अभिव्यक्ति का तात्पर्य वही है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 2(77) में दिया गया है।

(सी) निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता

(1) निवासी कोई व्यक्ति, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है अथवा रख सकता है, जिसे निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाते के नाम से जाना जायेगा:

(ए) भारत से बाहर दौरे के दौरान भारत में किसी कारोबार अथवा किए गए किसी कार्य से उत्पन्न न हुई सेवाओं के लिए किए गए भुगतान; अथवा

(बी) भारत में निवास न करने वाले व्यक्ति, जो भारत के दौरे पर है, द्वारा विधि सम्मत दी गई सेवाओं अथवा दायित्व के लिए किए गए मानदेय के भुगतान अथवा उपहार से; अथवा

(सी) भारत से बाहर किसी स्थान के दौरे के दौरान मानदेय अथवा उपहार के रूप में प्राप्त; अथवा

(डी) विदेश यात्रा के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी से अर्जित विदेशी मुद्रा राशि में से व्यय न हुई राशि से; अथवा

(ई) किसी रिश्तेदार से उपहार के रूप में प्राप्ति से;

स्पष्टीकरण – इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए "रिश्तेदार" अभिव्यक्ति का तात्पर्य वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 2(77) में दिया गया है।

(एफ़) माल/सेवाओं के निर्यात, अथवा रॉयल्टी, मानदेय अथवा किसी अन्य विधि सम्मत तरीके से किए गए अर्जन से;

(जी) निवासी खाताधारक द्वारा धारित शेयरों के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 के अंतर्गत ADR/GDR में परिवर्तन स्वरूप विनिवेश से प्राप्त आगम राशि;

(एच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से जीवन बीमा का कार्य करने के लिए अनुमत भारत में किसी बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी दावे / परिपक्वता / सुपुर्दगी मूल्य के रूप में विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान के रूप में प्राप्त आगम राशि से।

(2) इस खाते से विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 के अंतर्गत चालू खाता लेनदेन के लिए भुगतानों हेतु और विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 के उपबंधों के अंतर्गत अनुमत पूंजी खाता लेनदेन के लिए राशि नामे की जा सकेगी।

(3) यह खाता चालू खाते के रूप में रखा जाएगा और उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(4) इस खाते में जमाशेष की कोई उच्चतम सीमा नहीं होगी।

(डी) विशेष आर्थिक क्षेत्र की कोई यूनिट

किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित कोई यूनिट भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है और बनाए रख सकती है, बशर्ते कि,

(ए) विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट द्वारा प्राप्त सभी विदेशी मुद्रा निधियाँ ऐसे खाते में जमा की जाएंगी,

(बी) भारत में रुपये के बदले खरीदी गई विदेशी मुद्रा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना इस खाते में जमा नहीं की जा सकेगी,

(सी) विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट द्वारा भारत में निवासी व्यक्तियों अथवा अन्य के साथ किए गए सदाशयी व्यापारिक लेनदेनों के लिए इस खाते की निधियों का उपयोग किया जा सकेगा,

(डी) समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381 (अ) की अनुसूची III की मद 1(ii) के सिवाय, नियम 5 के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों से इस खाते के जमा शेष मुक्त/छूट प्राप्त रहेंगे।

वशर्ते कि इस खाते में धारित निधियाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट से भिन्न भारत में निवासी किसी व्यक्ति अथवा संस्था (कंपनी) को किसी भी तरीके से न तो उधार दी जाएंगी और न ही उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ई) डायमंड डॉलर खाता (DDAs)

समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एवं लागू विदेश व्यापार नीति में दिये गए पात्रता मानदंडों और समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पूरा करने वाली फ़र्मों और कंपनियों को भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट डायमंड डॉलर खाते की शर्तों के अनुसार भारत में डायमंड डॉलर खाते खोलने, धारित करने और बनाए रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(एफ़) निर्यातक

भारत में निवासी कोई व्यक्ति निर्यातक होने के कारण जिसने भारत से बाहर कन्स्ट्रक्शन कांट्रैक्ट अथवा तैयार परियोजना का कार्य हाथ में लिया है, अथवा भारत से सेवाओं अथवा इंजीनियरिंग माल को आस्थगित भुगतान की शर्तों पर निर्यात करता है वह भारत में किसी बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और बनाए रख सकता है, वशर्ते कि -

(ए) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली 2015 के अंतर्गत संविदा/परियोजना का कार्य करने/माल अथवा सेवाओं के निर्यात के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, और

(बी) अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का सम्यक रूप से पालन किया गया हो।

(जी) अन्य मामले

(1) भारत से बाहर निगमित किसी शिपिंग अथवा एयरलाइन कंपनी के भारतीय एजेंट ऐसी एयरलाइन अथवा शिपिंग कंपनी के भारत में स्थानीय खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है;

वशर्ते कि, ऐसे खाते में जमा की जाने वाली राशि या तो भारत में माल भाड़ा अथवा यात्री किराया के रूप में प्राप्त राशि हुई हो अथवा भारत से बाहर की प्रिंसिपल (कंपनी) से प्राप्त हुई हो;

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी भारत में जहाज-कर्मि दल / कू प्रबंधन एजेंसियों को उनके सामान्य कारोबार संबंधी लेनदेनों के प्रयोजन के लिए भारत में व्याज रहित विदेशी मुद्रा खाता खोलने अथवा बनाए रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित परियोजना कार्यालयों के लिए 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (शाखा अथवा कार्यालय अथवा अन्य कारोबारी स्थान की स्थापना) विनियमावली, 2000 के अनुसार भारत में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए व्याज रहित एक अथवा अनेक विदेशी मुद्रा खाता/खाते खोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(4) 3 मई 2000 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्ग से विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है और बनाए रख सकती है।

वशर्ते कि भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में आसन्न व्यय किए जाने हों और एतदर्थ खोला गया खाता संबन्धित अपेक्षा पूरी होते ही बंद कर दिया जाएगा किन्तु किसी भी हालत में ऐसा खाता खोलने की तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के लिए परिचालनीय नहीं होगा।

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी अंतरराष्ट्रीय सेमीनारों/ सम्मेलनों/ कोन्वेंशनों, आदि के आयोजकों को ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विदेश से विशेष आमंत्रितों को भुगतान करने सहित प्रतिनिधियों से शुल्क प्राप्त करने और भुगतान के लिए भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

5. भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोलना, धारण करना और रखना :-

(ए) प्राधिकृत व्यापारियों अथवा उनकी शाखाओं के खाते

(1) भारत का कोई प्राधिकृत व्यापारी उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी निदेशों के उपबंधों के अनुसार विदेशी मुद्रा कारोबार और उससे संबंधित अन्य प्रासंगिक मामलों हेतु विदेशी मुद्रा खाता भारत से बाहर अपनी शाखा, प्रधान कार्यालय अथवा प्रतिनिधि के पास खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है।

(2) भारत में निगमित अथवा गठित किसी बैंक की भारत से बाहर की कोई शाखा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी निदेशों अथवा मार्गदर्शी सिद्धांतों और जहां शाखा स्थित है, उस देश के विनियामक प्राधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में सामान्य बैंकिंग कारोबार करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा खाता भारत से बाहर के बैंक के पास खोल सकता है, धारण कर सकता है तथा रख सकता है।

(बी) भारत से बाहर के अपने कार्यालय/शाखा/प्रतिनिधि के नाम में कंपनी/फ़र्म द्वारा खाता रखना

भारत में पंजीकृत अथवा निगमित कोई फ़र्म अथवा कंपनी अथवा कॉर्पोरेट बॉडी (जिसे इसके बाद "भारतीय कंपनी" कहा गया है) भारत से बाहर स्थापित अपने (ट्रेडिंग अथवा नॉन ट्रेडिंग) कार्यालय अथवा अपनी शाखा अथवा भारत से बाहर पदापित अपने प्रतिनिधि के नाम में ऐसे कार्यालय अथवा शाखा अथवा प्रतिनिधि द्वारा किए जाने वाले सामान्य कारोबारी परिचालनों के लिए भारत से विप्रेषण करने हेतु विदेशी मुद्रा खाता भारत से बाहर के बैंक में खोल सकती है/धारित कर सकती है और बनाए रख सकती है; बशर्ते कि -

(ए) भारतीय कंपनी की सामान्य कारोबारी गतिविधियों के लिए समुद्रपारीय शाखा / कार्यालय की स्थापना की गई हो, अथवा प्रतिनिधि को पदापित किया गया हो ;

(बी) इस उप विनियम के अंतर्गत भारतीय कंपनी द्वारा ऐसे सभी खातों को किसी एक लेखा वर्ष में किए गए कुल विप्रेषण निम्नलिखित से अधिक नहीं होंगे,

- (i) भारतीय कंपनी द्वारा विगत 2 वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक बिक्री / आय अथवा पण्यवर्त के 15% अथवा उसकी निवल मालियत के 25% तक, में से जो भी अधिक हो, जहां विप्रेषण शाखा अथवा कार्यालय अथवा प्रतिनिधि के प्रारम्भिक खर्चों को पूरा करने के लिए हों ; और
- (ii) विगत 2 वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक बिक्री / आय अथवा पण्यवर्त के 10% जहां विप्रेषण शाखा अथवा कार्यालय अथवा प्रतिनिधि के आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए हों ;

(सी) समुद्रपारीय शाखा/कार्यालय/प्रतिनिधि उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों अथवा विनियमों का उल्लंघन करते हुए कोई संविदा अथवा करार नहीं करेंगे ;

(डी) इस प्रकार खोले, धारित अथवा रखे गए खाते निम्नवत बंद कर दिये जाएंगे,

- (i) यदि खाता खोलने से 6 माह के भीतर समुद्रपारीय शाखा/कार्यालय की स्थापना नहीं होती है, अथवा
- (ii) समुद्रपारीय शाखा / कार्यालय के बंद होने से एक माह के भीतर, अथवा
- (iii) जहां प्रतिनिधि 6 माह तक पदापित न हो,

और ऐसे खाते में धारित जमा भारत में प्रत्यावर्तित की जाएगी;

बशर्ते यह कि प्रथम परंतुक के खंड (बी) में अंतर्विष्ट प्रतिबंध निम्न दशाओं में लागू नहीं होंगे -

- 1) इस उप विनियम के अंतर्गत किए गए विप्रेषण भारतीय कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते (EEFC) खाते की निधियों से किए गए हों, अथवा
- 2) 100% निर्यातोन्मुख यूनिट अथवा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) अथवा हार्डवेयर टेक्नालजी पार्क (HTP) अथवा सॉफ्टवेयर टेक्नालजी पार्क (STP) की यूनिट द्वारा, यूनिट की स्थापना से 2 वर्षों के भीतर, समुद्रपारीय शाखा/कार्यालय की स्थापना की जाती है अथवा प्रतिनिधि पदापित किया जाता है;

स्पष्टीकरण : इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए

- 1) समुद्रपारीय शाखा/ कार्यालय / प्रतिनिधि के सामान्य कारोबारी परिचालनों के लिए कार्यालय उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए की गई खरीद को पूंजी खातेगत लेनदेन नहीं माना जाएगा;
- 2) समुद्रपारीय शाखा / कार्यालय / प्रतिनिधि द्वारा 5 वर्षों से अनधिक अवधि की लीज़ के सिवाय अचल संपत्ति का अंतरण अथवा अर्जन विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अर्जन और अंतरण) विनियमावली, 2015 के अधीन होगा।

(सी) निर्यातक

भारत में निवासी कोई व्यक्ति निर्यातक होने के कारण जिसने भारत से बाहर कन्स्ट्रक्शन कांट्रैक्ट अथवा तैयार परियोजना का कार्य हाथ में लिया है, अथवा भारत से सेवाओं अथवा इंजीनियरिंग माल को आस्थगित भुगतान की शर्तों पर निर्यात करता है वह भारत से बाहर किसी बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और बनाए रख सकता है, बशर्ते कि -

(ए) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली 2015 के अंतर्गत संविदा/परियोजना का कार्य करने/माल अथवा सेवाओं के निर्यात के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, और

(बी) अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का सम्यक रूप से पालन किया गया हो।

(डी) समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए

कोई भारतीय पार्टी समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजन से विदेश में विदेशी मुद्रा खाता निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत खोल सकती है, धारण कर सकती है और बनाए रख सकती है :

(ए) भारतीय पार्टी विदेशी समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के अनुसार समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए पात्र हो।

(बी) मेजबान देश के विनियम यह विनिर्दिष्ट करते हों कि ऐसे देश में किया जाने वाला निवेश नामित खाते के जरिए किया जाए।

(सी) मेजबान देश के विनियमों के अनुसार खाता खोला जाएगा, धारित किया जाएगा और रखा जाएगा।

(डी) भारतीय पार्टी द्वारा ऐसे खाते में प्रेषित विप्रेषणों का उपयोग समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए ही होगा।

(ई) उक्त खाते में सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश और/अथवा अन्य हकदारीगत राशि खाते में जमा होने से 30 दिनों के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित की जाएगी।

(एफ़) भारतीय पार्टी उक्त खाते से किए गए नामे और जमा के ब्योरे वार्षिक आधार पर नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को सांविधिक लेखा-परीक्षक के इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगी जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि खाते का रख-रखाव मेजबान देश के कानूनों और यथा लागू मौजूदा फेमा विनियमों/उपबंधों के अनुसार किया गया है।

(जी) इस प्रकार खोले गए खाते को संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी से विनिवेश अथवा उसके बंद होते ही अथवा ऐसा होने से 30 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजन के लिए "भारतीय पार्टी" अभिव्यक्ति का तात्पर्य वही होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम), विनियमावली, 2004 में दिया गया है।

(ई) अन्य मामले

(1) बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने अथवा अमेरिकी निक्षेपागार रसीद (ADR) अथवा वैश्विक निक्षेपागार रसीद (GDR) जारी करने संबंधी शर्तों का अनुपालन करके संसाधन के रूप में जुटाई गई निधियाँ उनके अंतिम उपयोग होने अथवा भारत में प्रत्यावर्तित होने तक भारत से बाहर किसी बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाते में जमा के रूप में रखी जा सकती हैं।

(2) भारत में निगमित जहाजरानी अथवा एयरलाइन कंपनी अपने सामान्य कारोबारी लेनदेन के प्रयोजन हेतु भारत से बाहर के बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है, धारण कर सकती है और रख सकती है।

(3) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अथवा भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) और उसकी सहायक कंपनियाँ अपने द्वारा किए जाने वाले बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय को पूरा करने और भारत से बाहर बीमा प्रीमियम प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा खाता भारत से बाहर के बैंक में खोल सकती है, धारण कर सकती है और रख सकती है।

(4) निवासी व्यक्ति उदारीकृत विप्रेषण योजना (जिसे इसके बाद "योजना" कहा गया है) के अंतर्गत विप्रेषण के लिए भारत से बाहर के बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है, और रख सकता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र सभी विप्रेषणों से संबन्धित अथवा उत्पन्न होने वाले सभी लेनदेनों के लिए इस खाते का प्रयोग किया जा सकता है।

(5) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी प्रदर्शनी/व्यापारिक मेले में भाग लेने गया है, वह प्रदर्शनी / व्यापार मेले में प्रदर्शित माल की विक्रीगत आगम राशि को जमा करने के लिए भारत से बाहर के बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है:

बशर्ते कि प्रदर्शनी / व्यापार मेले की समाप्ति से एक माह के भीतर ऐसी राशि सामान्य बैंकिंग चैनल से भारत में प्रत्यावर्तित की जाएगी।

(6) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर शिक्षा प्राप्त करने गया है, वह भारत से बाहर रहने के दौरान भारत से बाहर के किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है।

बशर्ते कि इस खाते में भारत से प्रेषित सभी राशियाँ उक्त अधिनियम, उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली और विनियमावली के अनुसार जमा की जाएंगी।

बशर्ते यह भी कि उसके द्वारा शिक्षा पूरी करने के बाद भारत वापस आने पर ऐसे खाते के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत खोला गया था।

(7) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में दौरे पर है वह भारत से बाहर रहने के दौरान भारत से बाहर के किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है बशर्ते उसके भारत वापस आने पर संदर्भित खाते में जमा शेष भारत में प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(8)(i) किसी दूसरे देश का नागरिक, जो भारत में निवासी है, जो विदेशी कंपनी का कर्मचारी है अथवा भारत का नागरिक है, जो विदेशी कंपनी में भारत से बाहर नियोजित है एवं दोनों में से किसी भी मामले में कर्मचारी ऐसी विदेशी कंपनी के भारत में स्थित कार्यालय/ शाखा/ अनुषंगी कंपनी/ज्वाइंट वेंचर/कंपनी समूह में प्रतिनियुक्ति पर है, भारत से बाहर के किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है एवं विदेशी कंपनी के भारत में स्थित कार्यालय/शाखा/अनुषंगी कंपनी/ज्वाइंट वेंचर/कंपनी समूह को दी गई अपनी सेवाओं के बदले उसे मिलने वाला पूरा वेतन ऐसे खातों में प्राप्त कर सकता है, बशर्ते भारत में लागू कर का भुगतान किया जाए।

(ii) दूसरे देश का नागरिक जो भारत में निवासी है, वह भारत में निगमित कंपनी का कर्मचारी होने के कारण भारतीय कंपनी को दी गई सेवाओं के लिए भारत में रुपये में प्राप्त पूरा वेतन भारत से बाहर के बैंक में खोले गए, धारण किए गए और रखे गए विदेशी मुद्रा खाते में विप्रेषित कर सकता है बशर्ते भारत में लागू करों का भुगतान किया जाए।

स्पष्टीकरण :- इस उप विनियम में “कंपनी” अभिव्यक्ति में “सीमित देयता भागीदारी फर्म” (Limited Liability Partnership) भी शामिल है जिसे सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 में परिभाषित किया गया है।

6. खातों के प्रकार :-

जब तक कि इन विनियमों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, इन विनियमों के अंतर्गत भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोला जा सकता है, धारण किया जा सकता है और रखा जा सकता है :

ए) जहां खाता धारक कोई व्यक्ति हो, उन मामलों में चालू अथवा बचत अथवा मीयादी जमा खातों के रूप में तथा अन्य मामलों में चालू खाता अथवा मीयादी जमा खातों के रूप में;

बशर्ते कि विनियम 4(ए) में संदर्भित विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (EEFC Account), समय-समय पर, रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से खोला जा सकेगा, धारण किया जा सकेगा अथवा रखा जा सकेगा।

बी) ऐसा खाता खोलने, धारण करने और रखने के लिए पात्र व्यक्ति के नाम में एकल अथवा संयुक्त रूप से, इसे खोला जा सकता है, धारण किया जा सकता है और रखा जा सकता है।

7. खाताधारक की मृत्यु के बाद, खाते से विप्रेषण :-

विदेशी मुद्रा खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर –

ए) प्राधिकृत व्यापारी, जिसके पास ऐसा खाता रखा गया है, वह भारत से बाहर के निवासी नामित व्यक्ति को मृत खाताधारक के खाते में से उसके शेयर अथवा हकदारी की सीमा तक निधियां विप्रेषित कर सकता है।

बी) भारत में निवासी नमिती, जो मृतक की विदेश में देयताओं को पूरा करने के लिए अपने हिस्से में से भारत से बाहर निधियां विप्रेषित करने का इच्छुक है, वह ऐसे विप्रेषण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकता है।

सी) विनियम 5 के अनुसार भारत से बाहर रखे गए ऐसे खाते का निवासी नामिती संदर्भित खाते को बंद कर देगा और बैंकिंग चैनल से भारत में आगम राशि को वापस लाएगा।

8. विदेशी मुद्रा खाते रखने वाले प्राधिकृत व्यापारियों की जिम्मेदारियां :-

कोई प्राधिकृत व्यापारी जो विदेशी मुद्रा खाता रखता है, वह -

ए) समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले निदेशों का अनुपालन करेगा; तथा

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित आवधिक विवरणी अथवा विवरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा

अनुसूची I

[विनियम (4) का उप-विनियम (ए) देखें]

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (EEFC) योजना

1. विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में विदेशी मुद्रा जमा करने की सीमा

(1) भारत में निवासी कोई व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट किए अनुसार अर्जित शत-प्रतिशत (100%) विदेशी मुद्रा किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गए विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में जमा कर सकता है:

- i) रिज़र्व बैंक को दिए गए वचनपत्र के अनुसरण में अथवा विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण अथवा भारत के बाहर से प्राप्त निवेश अथवा खातेधारक द्वारा विशिष्ट दायित्वों को पूरा करने के रूप में प्राप्त विप्रेषणों को छोड़कर बैंकिंग चैनल से प्राप्त आवक विप्रेषण;

- ii) 100% निर्यातोन्मुख इकाई अथवा (ए) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) अथवा (बी) सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क (STP) अथवा (सी) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नालोजी पार्क की यूनिट द्वारा इसी प्रकार की यूनिट अथवा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) की यूनिट को की गई माल की आपूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान और विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिट द्वारा की गई माल की आपूर्ति के लिए भी विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान;
 - iii) समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के अनुसार प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार काउंटर ट्रेड प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गए खाते में निर्यातक द्वारा प्राप्त भुगतान;
 - iv) माल और सेवाओं के निर्यात के लिए किसी निर्यातक द्वारा प्राप्त अग्रिम विप्रेषण;
 - v) बैंक फॉर फॉरेन इकॉनॉमिक अफेयर्स, मॉस्को के भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के खाते में अमेरिकी डॉलर में रखी स्टेट क्रेडिट की चुकौती स्वरूप निधियों में से भारत से माल और सेवाओं के लिए गए निर्यात हेतु प्राप्त भुगतान;
 - vi) व्यक्तिगत क्षमता में दी गई पेशेवर सेवाओं के लिए निदेशक शुल्क, परामर्श शुल्क, व्याख्यान शुल्क, मानदेय और इसी प्रकार की अन्य आमदनी को शामिल करते हुए पेशेवर आय(अर्जन)।
- (2) उप-पैराग्राफ (1) के प्रयोजन के लिए, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से प्राप्त भुगतान जिसकी प्रतिपूर्ति विदेशी मुद्रा में की जाएगी, उसे बैंकिंग चैनल से प्राप्त विप्रेषण माना जाएगा।

2. विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में अनुमत जमा

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में निम्न प्रकार की जमा की जा सकती है, अर्थात् –

- i) पैराग्राफ (1) के उपबंधों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त आवक विप्रेषण / भुगतान;
- ii) उक्त खाते में रखी निधियों पर अर्जित ब्याज ;
- iii) उक्त खाते से पहले आहरित, किन्तु अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा फिर से जमा करना;
- iv) पैराग्राफ 3 के खंड (iv) के अनुसार ऋण/अग्रिम की अदायगी स्वरूप खाताधारक के आयातक से प्राप्त राशि।
- v) निवासी खाताधारक द्वारा धारित शेयरों के भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 के अंतर्गत ADR/GDR में परिवर्तन स्वरूप विनिवेश से प्राप्त आगम राशि।

3. विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से अनुमत नामे

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते से निम्नलिखित नामे किए जा सकते हैं, अर्थात् –

- i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के अंतर्गत चालू खाता लेनदेन और विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन), नियमावली 2000 के अंतर्गत अनुमत पूंजी खातेगत लेनदेनों संबंधी भारत से बाहर भुगतान के लिए।
- ii) 100% निर्यातोन्मुख इकाई अथवा (ए) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ) अथवा (बी) सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क (STP), (सी) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नालोजी पार्क की यूनिट से खरीदे गए माल की कीमत के रूप में विदेशी मुद्रा में भुगतान।
- iii) केंद्र सरकार की यथा लागू निर्यात-आयात नीति के उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क का भुगतान।
- iv) ऐसे खाताधारक निर्यातक द्वारा भारत से बाहर के आयातक को व्यापार से संबन्धित ऋण/अग्रिम हेतु वशर्ते विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना और उधार देना), विनियमावली 2000 का अनुपालन होता हो।

- v) हवाई किराए और होटल व्यय के लिए भुगतान सहित माल / सेवाओं की आपूर्ति के लिए भारत में निवासी किसी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान।

4. विविध

- i) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाते में रखी निधियों से रुपये में आहरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, इस प्रकार रुपये में आहारित राशि को इस खाते में फिर से जमा नहीं किया जा सकता है।
- ii) ऐसे खाते धारकों द्वारा रखे गए खातों के लिए अलग सीरीज़ की चेक-बुकें जारी की जाएं जिनमें चेकों के ऊपरी हिस्से में "EEFC खाता" अंकित हो, और ऐसे चेकों का भुगतान करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि खाते धारक द्वारा किए जाने वाले भुगतान के लिए क्या ये चेकें जारी करना संबंधित विनियमावली के अंतर्गत अनुमत है।
- iii) निवासी व्यक्तियों को इस बात की अनुमति है कि वे निवासी रिश्तेदारों को संयुक्त खाता धारक के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में "प्रथम अथवा उत्तरजीवी" के आधार पर शामिल कर सकते हैं, हालांकि ऐसे निवासी भारतीय रिश्तेदार निवासी खाताधारक के जीवनकाल में खाते का परिचालन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण: इस उप विनियम के प्रयोजन के लिए "रिश्तेदार" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथा परिभाषित "रिश्तेदार" से है।

अनुसूची II

(विनियम 4 का उप-विनियम (ई) देखें)

डायमंड डॉलर खाता (डीडीए) योजना

1. फर्म और कंपनियाँ निम्नलिखित शर्तों पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास डायमंड डॉलर खाता (डीडीए) खोल तथा बनाये रख सकते हैं :-

- (ए) निर्यातकों को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विदेश व्यापार नीति में निर्धारित पात्रता मानदण्डों का अनुपालन करना चाहिए।
- (बी) डायमंड डॉलर खाता (डीडीए) निर्यातक के नाम में खोला जाए और उसे केवल अमरीकी डॉलर में बनाए रखा जाए।
- (सी) यह खाता केवल चालू खाते के रूप में होगा और खाते में धारित शेष पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (डी) खाताधारक के डायमंड डॉलर खातों के बीच किसी अंतर-खाता अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ई) किसी निर्यातक फर्म/कंपनी को पाँच से अधिक डायमंड डॉलर खातों को खोलने और उन्हें बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (एफ) खाते में धारित शेष, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) अपेक्षाओं के अधीन होंगे।
- (जी) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (इडएफसी) खातों को छोड़कर, भारत अथवा विदेश में बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते रखने वाली निर्यातक फर्म और कंपनियाँ डायमंड डॉलर खाते खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।

2. अनुमत जमा

- i. अमरीकी डॉलर में प्राप्त लदान- पूर्व और लदानोत्तर वित्त की राशि।
- ii. कच्चे, कटे हुए, पॉलिस किए हुए हीरों और हीरे जड़ित आभूषणों के लदान से प्राप्त निर्यात आय की वसूली राशि।
- iii. कच्चे, कटे हुए, पॉलिस किए हुए हीरों की स्थानीय बिक्री से अमरीकी डॉलर में प्राप्त आय की वसूली राशि।

3. अनुमत नामे

- i) समुद्रपारीय/स्थानीय स्रोतों से कच्चे हीरों के आयात/क्रय के लिए भुगतान।
- ii) कटे हुए और पॉलिस किए हुए हीरों, रंगीन रत्नों और सादे स्वर्ण आभूषणों की स्थानीय स्रोतों से खरीद के लिए भुगतान।
- iii) समुद्रपारीय/नामित एजेंसियों से स्वर्ण के आयात/क्रय के लिए भुगतान तथा बैंक से अमरीकी डॉलर में लिए गए ऋणों की चुकौती।
- iv) निर्यातक के रुपया खाते में अंतरण।

उपर्युक्त लेनदेन समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अधीन हैं/होंगे।

4. आवेदन प्रक्रिया:-

डायमंड डॉलर खाता खोलने के लिए निर्यातक फर्म/कंपनी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को संलग्न फार्मेट में आवेदन करेगी। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के अंत में (अप्रैल-मार्च) फर्म/कंपनी के पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड का आकलन करें। अगर कोई फर्म/कंपनी पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करती है तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाए।

डायमंड डॉलर खाता खोलने के लिए आवेदनपत्र

शाखा प्रबंधक

(प्राधिकृत व्यापारी बैंक/शाखा का नाम और पता)

महोदय,

हम हीरे/ रंगीन रत्नों/ हीरों अथवा रंगीन रत्नों से जड़े हुए आभूषणों/ सोने के सादे आभूषणों के आयात/ निर्यात में कम-से-कम दो वर्षों के पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड सहित कच्चे अथवा कटे हुए अथवा पॉलिस किए हुए हीरों/ बहुमूल्य धातु वाले सादे आभूषणों, मीनाकारी और/ अथवा हीरों और/ अथवा अन्य रत्न-जटित अथवा बिना हीरे अथवा अन्य रत्न-जटित की खरीद/बिक्री का कार्य करते हैं तथा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान हमारा 3 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक का औसत वार्षिक पण्यवर्त रहा है।

2. हम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी क्रियाविधियों की पुस्तिका (हैंडबुक आफ प्रोसिजर्स)(संबंधित खंड संख्या का उल्लेख करें) के साथ पठित भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति (अवधि अर्थात् 2009-2014) के प्रावधानों (संबंधित प्रावधान का उल्लेख करें) के अनुसार आपके बैंक में डायमंड डॉलर खाता योजना के तहत चालू खाता / खाते खोलना चाहते हैं।

3. संबंधित ब्योरे नीचे प्रस्तुत हैं :

- i) फर्म/कंपनी का नाम
- ii) पंजीकृत कार्यालय का पता
- iii) मुख्य व्यवसाय
- iv) आई कूट सं.
- v) पिछले दो वर्षों का वार्षिक पण्यवर्त (सन्दी लेखाकार का प्रमाणपत्र संलग्न करें)
- vi) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते के ब्योरे, यदि कोई हो

4. हम पुष्टि करते हैं कि हमारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते को छोड़कर कोई विदेशी मुद्रा खाता नहीं है।
5. हम घोषित करते हैं कि हम आपकी शाखा में खोलने के लिए एक प्रस्तावित खाते सहित 5 डायमंड डॉलर खाते से अधिक खाते नहीं रखते हैं।
6. हम घोषित करते हैं कि हम न तो भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्यातक सतर्कता सूची में हैं और न ही भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) की चूककर्ताओं की सूची में हैं।
7. हम समय-समय पर बनाये गये/बनाये जाने वाले डायमंड डॉलर खाता योजना के नियमों और आपके बैंक में डायमंड डॉलर खाता खोलने और बनाये रखने के लिए निर्धारित शर्तों और भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के किन्हीं अन्य विदेशी मुद्रा/विदेश व्यापार विनियमों का पालन करने का वचन देते हैं।

हम आपसे अनुरोध करते हैं आप फर्म/कंपनी के नाम में डायमंड डॉलर खाता खोलें।

(फर्म/कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

फर्म/कंपनी की मुहर:

दिनांक:

स्थान:

[फा. सं. 1/31/ईएम/2016]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st January, 2016

No. FEMA 10(R)/2015—RB

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015

G.S.R. 96(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 and clause (e) of sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA 10/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following regulations for opening, holding and maintaining of Foreign Currency Accounts and the limits up to which amounts can be held in such accounts by a person resident in India, namely:

1. Short title and commencement:-

- i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person resident in India) Regulations, 2015.
- ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:-

In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

- i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- ii) 'Authorised dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of section 10 of the Act;
- iii) 'Foreign Currency Account' means an account held or maintained in currency other than the currency of India or Nepal or Bhutan;
- iv) 'Schedule' means schedule to these Regulations;
- v) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Restriction on holding foreign currency account by a person resident in India:-

Save as otherwise provided in the Act or rules or regulations made there under, no person resident in India shall open or hold or maintain a foreign currency account:

Provided that a Foreign Currency Account held or maintained before the commencement of these Regulations by a person resident in India with special or general permission of the Reserve Bank, shall be deemed to be held or maintained under these Regulations:

Provided further that the Reserve Bank, may on an application made to it, permit a person resident in India to open or hold or maintain a Foreign Currency Account, subject to such terms and conditions as may be considered necessary.

4. Opening, holding and maintaining Foreign Currency Accounts in India**(A) Exchange Earners' Foreign Currency Account:-**

A person resident in India may open, hold and maintain with an authorised dealer in India, a Foreign Currency Account to be known as Exchange Earners' Foreign Currency (EEFC) Account, subject to the terms and conditions of the Exchange Earners' Foreign Currency Account Scheme specified in the Schedule I.

(B) Resident Foreign Currency Account:-

(1) A person resident in India may open, hold and maintain with an authorised dealer in India a Foreign Currency Account, to be known as a Resident Foreign Currency (RFC) Account, out of foreign exchange –

- (a) received as pension or any other superannuation or other monetary benefits from his employer outside India; or
- (b) realised on conversion of the assets referred to in sub-section (4) of section 6 of the Act, and repatriated to India; or
- (c) received or acquired as gift or inheritance from a person referred to in sub-section (4) of section 6 of the Act; or
- (d) referred to in clause (c) of section 9 of the Act, or acquired as gift or inheritance there from; or
- (e) received as the proceeds of life insurance policy claims/maturity/surrender values settled in foreign currency from an insurance company in India permitted to undertake life insurance business by the Insurance Regulatory and Development Authority.

(2) The funds in a Resident Foreign Currency Account opened or held or maintained in terms of sub-regulation (1) shall be free from all restrictions regarding utilisation of foreign currency balances including any restriction on investment in any form, by whatever name called, outside India.

(3) Resident individuals are permitted to include resident relative(s) as joint holder(s) in their Resident Foreign Currency account on 'former or survivor' basis. However, such resident Indian relative joint account holder shall not be eligible to operate the account during the life time of the resident account holder.

Explanation – For the purpose of this sub-regulation, the expression 'relative' shall have the same meaning as assigned to it under section 2(77) of the Companies Act, 2013.

(C) Resident Foreign Currency (Domestic) Account

(1) A resident Individual may open, hold and maintain with an Authorised Dealer in India a foreign currency account, to be known as Resident Foreign Currency (Domestic) Account, out of foreign exchange acquired in the form of currency notes, bank notes and travellers' cheques as under:

- (a) by way of payment for services not arising from any business in or anything done in India while on a visit to any place outside India; or
- (b) from any person not resident in India and who is on a visit to India, as honorarium or gift or for services rendered or in settlement of any lawful obligation; or
- (c) by way of honorarium or gift while on a visit to any place outside India; or
- (d) in the form of unspent amount of foreign exchange acquired by him from an authorised person for travel abroad; or
- (e) as gift from a relative;

Explanation - For the purpose of this sub-regulation, the expression 'relative' shall have the same meaning as assigned to it under section 2(77) of the Companies Act, 2013.

- (f) by way of earning through export of goods/ services, or as royalty, honorarium or by any other lawful means;
- (g) representing the disinvestment proceeds received by the resident account holder on conversion of shares held by him to ADRs/ GDRs under the DR Scheme, 2014 approved by the Government of India.
- (h) by way of earnings received as the proceeds of life insurance policy claims/ maturity/ surrender values settled in foreign currency from an insurance company in India permitted to undertake life insurance business by the Insurance Regulatory and Development Authority

(2) Debits to the account shall be for payments towards a current account transaction in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 and towards a capital account transaction permissible under the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000.

(3) The account shall be maintained in the form of Current Account and shall not bear any interest.

(4) There shall be no ceiling on the balances in the account

(D) A Unit in a Special Economic Zone (SEZ)

A unit located in a Special Economic Zone may open hold and maintain a Foreign Currency Account with an authorized dealer in India provided that,

- (a) all foreign exchange funds received by the unit in the Special Economic Zone (SEZ) are credited to such account,
- (b) no foreign exchange purchased in India against rupees shall be credited to the account without prior permission from the Reserve Bank,
- (c) the funds held in the account shall be used for bona fide trade transactions of the unit in the SEZ with the person resident in India or otherwise,
- (d) the balances in the accounts shall be exempt from the restrictions imposed under Rule 5, except item 1(ii) of the Schedule III, of the Government of India Notification No.GSR.381(E) dated May 3, 2000, as amended from time to time.

Provided that the funds held in these accounts shall not be lent or made available in any manner to any person or entity resident in India not being a unit in Special Economic Zones.

(E) Diamond Dollar Accounts (DDAs)

An Authorized Dealer Category-I bank in India may allow firms and companies who comply with the eligibility criteria stipulated in the Foreign Trade Policy of Government of India, in force from time to time and the directions as may be issued by Reserve Bank of India, from time to time, to open, hold and maintain Diamond Dollar Accounts (DDAs) in India subject to the terms and conditions of the DDA Scheme specified in Schedule II.

(F) Exporters

A person resident in India, being an exporter who has undertaken a construction contract or a turnkey project outside India or who is exporting services or engineering goods from India on deferred payment terms may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with a bank in India, provided that -

- (a) approval as required under the Foreign Exchange Management (Export of goods and services) Regulations, 2015 has been obtained for undertaking the contract/ project/ export of goods or services, and
- (b) the terms and conditions stipulated in the letter of approval have been duly complied with.

(G) Other cases

(1) The Indian agent of a shipping or an airline company incorporated outside India, may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with an authorized dealer in India for meeting the local expenses in India of such airline or shipping company:

Provided that the credits to such accounts are only by way of freight or passage fare collections in India or from his principal outside India.

(2) An authorized dealer in India may, subject to the directions as may be issued by the Reserve Bank, allow ship-manning/ crew managing agencies in India to open and maintain non-interest bearing foreign currency accounts in India for the purpose of undertaking transactions in the ordinary course of their business.

(3) An authorized dealer in India may, subject to the directions as may be issued by the Reserve Bank, allow Project Offices set up in India by foreign companies in terms of Foreign Exchange Management (Establishment in India of

Branch or Office or other Place of Business) Regulations, 2000 dated May 3, 2000, as amended from time to time to open, hold and maintain non-interest bearing one or more foreign currency accounts in India for the projects to be executed in India.

(4) An Indian company receiving foreign investment under FDI route in terms of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 dated May 3, 2000, may open and maintain a foreign currency account with an Authorized Dealer in India.

Provided that the Indian investee company has impending foreign currency expenditure and the account shall be closed immediately after the requirements are completed and in no case shall be operational for more than six months from the date of opening of such account.

(5) An authorized dealer in India may, subject to the directions as may be issued by the Reserve Bank, allow opening temporary foreign currency accounts by organisers of international seminars, conferences, conventions etc. for holding such events in India for the receipt of the delegate fees and payment towards expenses including payment to special invitees from abroad.

5. Opening, holding and maintaining a Foreign Currency Account outside India:-

(A) Accounts of authorised dealers or their branches

(1) An authorised dealer in India may open, hold and maintain with his branch or head office or correspondent outside India, a Foreign Currency Account for the purpose of transacting foreign exchange business and other matters incidental thereto, in accordance with the provisions of the Act or the rules or regulations made or the directions issued thereunder.

(2) A branch outside India of a bank incorporated or constituted in India may open, hold and maintain with a bank outside India, a Foreign Currency Account for the purpose of carrying on normal banking business outside India, subject to compliance with the directions or guidelines issued from time to time by the Reserve Bank, and the regulatory authority in the country where the branch is located.

(B) Account by a company/ firm in the name of its office/ branch/ representative outside India

A firm or a company or a body corporate registered or incorporated in India (hereinafter referred to as 'the Indian entity') may open, hold and maintain in the name of its office (trading or non-trading) or its branch set up outside India or its representative posted outside India, a foreign currency account with a bank outside India by making remittances from India for the purpose of normal business operations of the office/ branch or representative;

Provided that –

- (a) the overseas branch/ office has been set up or representative is posted overseas for conducting normal business activities of the Indian entity;
- (b) the total remittances made under this sub-Regulation by the Indian entity, to all such accounts in an accounting year shall not exceed
 - (i) 15 per cent of the average annual sales/ income or turnover of the Indian entity during the last two financial years or up to 25 per cent of the net worth, whichever is higher, where the remittances are made to meet initial expenses of the branch or office or representative; and
 - (ii) 10 per cent of such average annual sales/ income or turnover during the last financial year where the remittances are made to meet recurring expenses of the branch or office or representative;
- (c) the overseas branch/ office/ representative shall not enter in any contract or agreement in contravention of the Act, Rules or Regulations made thereunder;
- (d) the account so opened, held or maintained shall be closed,
 - (i) if the overseas branch/ office is not set up within six months of opening the account, or
 - (ii) within one month of closure of the overseas branch/ office, or
 - (iii) where no representative is posted for six months,

and the balance held in the account shall be repatriated to India;

Provided further that the restriction contained in clause (b) of the first proviso shall not apply in a case where –

- 1) the remittances to the account maintained under this sub-Regulation are made out of funds held in EEFC account of the Indian entity, or
- 2) the overseas branch/ office is set up or representative posted by a 100% Export Oriented Unit (EOU) or a unit in Export Processing Zone (EPZ) or in a Hardware Technology Park or in a Software Technology Park, within two years of establishment of the Unit.

Explanation: For the purpose of this sub-Regulation,

- 1) Purchase or acquisition of office equipment and other assets required for normal business operations of the overseas branch/ office/ representative will not be deemed as a capital account transaction;
- 2) Transfer or acquisition of immovable property outside India, other than by way of lease not exceeding five years, by the overseas branch/ office/ representative will be subject to the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property outside India) Regulations, 2015.

(C) Exporters

A person resident in India, being an exporter who has undertaken a construction contract or a turnkey project outside India or who is exporting services or engineering goods from India on deferred payment terms may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with a bank outside India, provided that -

- a) approval as required under the Foreign Exchange Management (Export of goods and services) Regulations, 2015 has been obtained for undertaking the contract/ project/ export of goods or services, and
- b) the terms and conditions stipulated in the letter of approval have been duly complied with.

(D) For making Overseas Direct Investment

An Indian party may open, hold and maintain Foreign Currency Account abroad for the purpose of making overseas direct investments subject to the following terms and conditions:

- (a) The Indian party is eligible for making overseas direct investment in terms of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 as amended from time to time
- (b) The host country regulations stipulate that the investment into the country is required to be routed through a designated account.
- (c) The account shall be opened, held and maintained as per the regulation of the host country.
- (d) The remittances sent to the account by the Indian party should be utilized only for making overseas direct investment into the Joint Venture/ Wholly Owned Subsidiary (JV/ WOS) abroad.
- (e) Any amount received in the account by way of dividend and/ or other entitlements from the subsidiary shall be repatriated to India within 30 days from the date of credit.
- (f) The Indian party should submit the details of debits and credits in the account on yearly basis to the designated AD bank with a certificate from the Statutory Auditors of the Indian party certifying that the account was maintained as per the host country laws and the extant FEMA regulations / provisions as applicable.
- (g) The account so opened shall be closed immediately or within 30 days from the date of disinvestment from JV/ WOS or cessation thereof.

Explanation: For the purpose of this regulation, the expression 'Indian party' shall have the same meaning as assigned to it in Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2004."

(E) Other Cases

- (1) Subject to compliance with the conditions in regard to raising of External Commercial Borrowings (ECB) or raising of resources through American Depositary Receipts (ADRs) or Global Depositary Receipts (GDRs), the funds so raised may, pending their utilisation or repatriation to India, be held in deposits in foreign currency accounts with a bank outside India.
- (2) A shipping or airline company incorporated in India may open, hold and maintain with a bank outside India, a Foreign Currency Account for the purpose of undertaking transactions in the ordinary course of its business.
- (3) Life Insurance Corporation of India or General Insurance Corporation of India and its subsidiaries may open, hold and maintain with a bank outside India, a Foreign Currency Account for the purpose of meeting the expenditure incidental to the insurance business carried on by them and for that purpose, credit to such account the insurance premia received by them outside India.
- (4) Resident individuals may open, maintain and hold foreign currency accounts with a bank outside India for making remittances under the Liberalised Remittance Scheme (hereinafter referred to as the "Scheme"). The account may be used for putting through all transactions connected with or arising from remittances eligible under this Scheme.

(5) A person resident in India who has gone out of India to participate in an exhibition/ trade fair outside India may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with a bank outside India for crediting the sale proceeds of goods on display in the exhibition/ trade fair:

Provided that the balance in the account is repatriated to India through normal banking channels within a period of one month from the date of closure of the exhibition/ trade fair.

(6) A person resident in India who has gone abroad for studies may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with a bank outside India during his stay outside India.

Provided that all credits from India into the account shall be made in accordance with the Act, Rules and Regulations made thereunder.

Provided further that on his return to India, after completion of studies, such an account will be deemed to have been opened under the Liberalised Remittance Scheme.

(7) A person resident in India who is on a visit to a foreign country may open, hold and maintain a Foreign Currency Account with a bank outside India during his stay outside India, provided that on his return to India, the balance in the account is repatriated to India.

(8) (i) A citizen of a foreign State, resident in India, being an employee of a foreign company or a citizen of India, employed by a foreign company outside India and in either case on deputation to the office/ branch/ subsidiary/ joint venture/ group company in India of such foreign company may open, hold and maintain a foreign currency account with a bank outside India and receive the whole salary payable to him for the services rendered to the office/ branch/ subsidiary/ joint venture/ group company in India of such foreign company, by credit to such account, subject to payment of taxes, as applicable in India.

(ii) A citizen of a foreign State resident in India being in employment with a company incorporated in India may open, hold and maintain a foreign currency account with a bank outside India and remit the whole salary received in India in Indian Rupees, to such account, for the services rendered to such an Indian company, subject to payment of taxes, as applicable in India.

Explanation:- For the purpose of this sub regulation, the expression 'company' shall include a 'Limited Liability Partnership' as defined under The Limited Liability Partnership Act, 2008.

6. Types of accounts:-

Unless otherwise specified in these Regulations, a Foreign Currency Account with an authorised dealer in India under these Regulations may be opened, held and maintained:

- a) in the form of current or savings or term deposit account in cases where the account holder is an individual, and in the form of current account or term deposit account in all other cases:

Provided that the EEFC account referred to in Regulation 4 (A), shall be opened, held or maintained in a manner as prescribed by the Reserve Bank from time to time.

- b) singly or jointly in the name of person eligible to open, hold and maintain such account.

7. Remittances out of the account after the account holder's death:-

On the death of a foreign currency account holder, -

- a) the authorised dealer with whom the account is held or maintained may remit to a nominee being a person resident outside India, funds to the extent of his share or entitlement from the account of the deceased account holder;
- b) a nominee being a person resident in India, who is desirous of remitting funds outside India out of his share for meeting the liabilities abroad of the deceased, may apply to the Reserve Bank for such remittance;
- c) A resident nominee of an account held outside India in accordance with Regulation 5 shall close the account and bring back the proceeds to India through banking channels.

8. Responsibility of authorised dealers maintaining foreign currency accounts:-

An authorised dealer maintaining foreign currency accounts shall -

- a) comply with the directions issued by the Reserve Bank from time to time; and
- b) submit periodic return or statement, if any, as may be stipulated by the Reserve Bank .

SCHEDULE I**[See Sub-Regulation (A) of Regulation 4]****Exchange Earner's Foreign Currency (EEFC) Account Scheme****1. Limit up to which foreign currency may be credited to EEFC account**

(1) A person resident in India may credit to the EEFC Account with an Authorised Dealer in India 100 percent of the foreign exchange earnings as specified here under:

- i) inward remittance through banking channel, other than the remittance received pursuant to any undertaking given to the Reserve Bank or which represents foreign currency loan raised or investment received from outside India or those received for meeting specific obligations by the account holder;
- ii) payments received in foreign exchange by a 100 per cent Export Oriented Unit or a unit in (a) Export Processing Zone or (b) Software Technology Park or (c) Electronic Hardware Technology Park for supply of goods to similar such unit or to a unit in Domestic Tariff Area and also payments received in foreign exchange by a unit in Domestic Tariff Area for supply of goods to a unit in Special Economic Zone (SEZ);
- iii) payments received by an exporter from an account maintained with an authorised dealer for the purpose of counter trade, in accordance with the approval granted in terms of the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2015, as amended from time to time;
- iv) advance remittance received by an exporter towards export of goods or services;
- v) payment received for export of goods and services from India, out of funds representing repayment of State Credit in U.S. dollar held in the account of Bank for Foreign Economic Affairs, Moscow, with an authorised dealer in India;
- (vi) Professional earnings including director's fees, consultancy fees, lecture fees, honorarium and similar other earnings received by a professional by rendering services in his individual capacity.

(2) For the purpose of the sub-paragraph (1), payment received through an international credit card for which reimbursement will be provided in foreign exchange may be regarded as a remittance through banking channels.

2. Permissible credits to EEFC account

Following credits may be made to an EEFC Account, namely –

- i) Inward remittance/ payment received by the recipient in foreign exchange subject to the provisions of paragraph (1);
- ii) Interest earned on the funds held in the account;
- iii) Re-credit of unutilised foreign currency earlier withdrawn from the account;
- iv) Amount representing repayment by the account holder's importer customer, of loan/ advances granted in terms of clause (iv) of Paragraph 3.
- v) Representing the disinvestment proceeds received by the resident accountholder on conversion of shares held by him to ADRs/ GDRs under the DR Scheme, 2014 approved by the Government of India

3. Permissible debits to the EEFC account

Following debits may be made to an EEFC Account, namely -

- i) Payment outside India towards a current account transaction in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000 and towards a capital account transaction permissible under the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000.
- ii) Payment in foreign exchange towards cost of goods purchased from a 100 percent Export Oriented Unit or a Unit in (a) Export Processing Zone or (b) Software Technology Park or (c) Electronic Hardware Technology Park
- iii) Payment of customs duty in accordance with the provisions of Export Import Policy of Central Government for the time being in force.
- iv) Trade related loans/ advances, by an exporter holding such account to his importer customer outside India, subject to compliance with the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000.
- v) Payment in foreign exchange to a person resident in India for supply of goods/ services including payments for air fare and hotel expenditure.

4. Miscellaneous:-

- i) There is no restriction on withdrawal in rupees of funds held in an EEFC account. However, the amount so withdrawn in rupees cannot be re-credited to the account.
- ii) Authorised dealer may issue cheque books of separate series with the superscription "EEFC Account" to the account holders maintaining such accounts, and also satisfy himself while honouring the cheques that the payment made by the account holder by issue of a cheque is permissible under these Regulations.
- (iii) Resident individuals are permitted to include resident relative(s) as a joint holder(s) in their EEFC account on 'former or survivor' basis. However, such resident Indian relative(s) shall not be eligible to operate the account during the life time of the resident account holder.

Explanation – For the purpose of this sub-regulation, 'relative' means relative as defined in section 2(77) of the Companies Act, 2013.

SCHEDULE II

[See Sub-regulation (E) of Regulation 4]

Diamond Dollar Account (DDA) Scheme**1. Firms and companies may open and maintain DDA with AD Category-I banks, subject to the following terms and conditions:-**

- a) The exporter should comply with the eligibility criteria stipulated in the Foreign Trade Policy of the Government of India, issued from time to time.
- b) The DDA shall be opened in the name of the exporter and maintained in US Dollars only.
- c) The account shall only be in the form of current account and no interest should be paid on the balance held in the account.
- d) No intra-account transfer should be allowed between the DDAs maintained by the account holder.
- e) An exporter firm/ company shall be permitted to open and maintain not more than 5 DDAs.
- f) The balances held in the accounts shall be subject to Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) requirements.
- g) Exporter firms and companies maintaining foreign currency accounts, excluding EEFC accounts, with banks in India or abroad, are not eligible to open Diamond Dollar Accounts.

2. Permissible Credits:-

- i. Amount of pre-shipment and post-shipment finance availed in US Dollars.
- ii. Realisation of export proceeds from shipments of rough, cut, polished diamonds and diamond studded jewellery.
- iii. Realisation in US Dollars from local sale of rough, cut and polished diamonds.

3. Permissible Debits:-

- i. Payment for import/ purchase of rough diamonds from overseas/ local sources.
- ii. Payment for purchase of cut and polished diamonds, coloured gemstones and plain gold jewellery from local sources.
- iii. Payment for import/ purchase of gold from overseas/ nominated agencies and repayment of US Dollars loans availed from the bank.
- iv. Transfer to rupee account of the exporter.

The above transactions are subject to the provisions of the Foreign Trade Policy of Government of India, issued from time to time.

4. Application Procedure:-

The exporter firm/ company shall make an application in the format annexed to the AD Category – I bank for opening of the DDA. AD Category - I banks should assess the track record of the firm / company at the end of every licensing year (April-March). In case any firm/ company fails to meet the eligibility criteria, the account may be closed immediately.

APPLICATION FOR OPENING DIAMOND DOLLAR ACCOUNT/S

To,

The Branch Manager/ (name & address of AD bank/branch)

Dear Sir,

We are dealing in purchase/ sale of rough or cut and polished diamonds / precious metal jewellery plain, minakari and/ or studded with/ without diamond and/or other stones, with a track record of at least 2 years in import / export of diamonds / coloured gemstones / diamond and coloured gemstones studded jewellery /plain gold jewellery, and having an average annual turnover of Rs 3 crore or above during preceding three licensing years.

2. We wish to open a current account/s under the Diamond Dollar Account Scheme with your bank in accordance with the provisions of (mention the relevant paragraph) of the Foreign Trade Policy (period e.g. 2009-2014) of the Government of India read with the Handbook of Procedures (mention the relevant Volume No.) issued by Ministry of Commerce & Industry, Government of India.

3. The relevant particulars are furnished below:

i) Name of the Firm / Company:

ii) Address of the Registered Office:

iii) Principal business:

iv) IE Code No. :

v) Annual Turnover of the last two Years (enclose certificate of CA):

vi) Details of the EEFC account, if any :

4. We confirm that we are not maintaining any foreign currency account, excluding EEFC account, with banks in India or abroad.

5. We declare that we are not maintaining more than 5 DDAs including the one proposed to be opened with your branch.

6. We declare that we are neither on the caution list of exporters of Reserve Bank of India nor on the defaulters list of Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd (ECGC).

7. We undertake to abide by the rules of the Diamond Dollar Account Scheme framed / to be framed from time to time and the terms and conditions stipulated for opening and maintenance of the DDA with your bank and any other foreign exchange / foreign trade regulation of Reserve Bank of India / Government of India.

We request you to open a Diamond Dollar Account/s in the name of the firm/company.

(Signature of the Authorized Official of the firm / company)

Name :

Designation :

Seal of firm / company:

Date :

Place:

[F. No. 1/31/EM/2016]

B. P. KANUNGO, Principal Chief General Manager